फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

किस्म मुकदमाः– 88,188,209 आरटीए मनीराम बनाम ओमप्रकाश व अन्य प्रकरण संख्याः–02/2020 (GCMS No. 2020/00013)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.06.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना पत्र (आदेश 1 नियम 10 (2) सीपीसी) हेतु पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील श्री भगवानदत्त शर्मा ने प्रार्थीगण नरेश कुमार पुत्र मनीराम एवं सुशीला देवी पत्नी नरेश कुमार अकवाम जाट निवासी कोनपालसर तहसील सूरतगढ़ की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 (2) सीपीसी को दोहराते हुए बताया कि प्रश्नगत भूमि रोही कोनपालसर के खसरा नं. 458/185 की 4.298 हैक्टर व खसरा नं. 459/186 की 4.175 हैक्टर की है। जो पूर्व में मनीराम के नाम से थी। इसलिये मनीराम द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया था। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि हम प्रार्थीगण नरेश कुमार पुत्र मनीराम एवं सुशीला देवी पत्नी नरेश कुमार को दान पात्र के द्वारा हस्तान्तरित हो गई है एवं खाता भी कायम हो चुका है। इसलिये उक्त भूमि में हम प्रार्थीगण हितबद्ध पक्षकार है एवं वाद विषयवस्तु के अन्तिम निपटारे हेतु प्रार्थीगण को बतौर वादी संयोजित किया जाना उचित है। अतः प्रार्थीगण को बतौर वादी पक्षकार बनाया जावे। वकील प्रतिवादी/अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि मनीराम द्वारा अपने नाम की समस्त भूमि हस्तातंरण कर देने से मनीराम का वाद हेतुक ही समाप्त हो गया है। जब मनीराम का वाद ही नही चल सकता है। क्योंकि उसने समस्त भूमि ही हस्तान्तरित कर दी है तो उसमें अन्य कोई पक्षकार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद में सम्मिलित नही हो सकता हैं। प्रार्थना पत्र शुरू से ही गैर कानूनी व शून्य है जो निरस्त किया जावें। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी मनीराम द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया था। वादी मनीराम द्वारा अपने नाम अंकित रकबा हस्तान्तरण करने से वाद कारण समाप्त हो चुका है। नवीन खातेदार उक्त वाद पत्र की कार्यवाही में भाग नही ले सकता है। वह नया वाद पत्र प्रस्तुत कर सकता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्वीकार किया जाकर वाद वादी इसी स्तर पर निरस्त किया जाना हम उचित समझते है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण नरेश कुमार वगैरा निरस्त किया जाता है तथा वादी मनीराम द्वारा वादग्रस्त रकबा हस्तान्तरण करने से वाद हेतुक ही समाप्त होने से वाद वादी निरस्त किया जाता है। पत्रावली नंबर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.06.13 12:22:40 IST
Reason: SelfAttested